बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना अंतर्गत संविदा के आधार पर नैदानिक मनोचिकित्सक के नियोजन से संबंधित सूचना

आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि– 01.05.2025
आवेदन की अंतिम तिथि – 31.05.2025

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय काराओं में संविदा के आधार पर नैदानिक मनोचिकित्सक (Clinical Psychologist) के नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

A	Name of the Post	Clinical Psychologist
B	Total Number of Vacancies	08
C	Categorywise Vacancies	UR-3 (01 पद महिला हेतु), EWS-1, MBC-2, BC-1, SC-1
D	Monthly Salary	Rs. 60,000/-
E	Essential Qualification	Post-Graduate degree in Psychology or Clinical Psychology or Applied Psychology AND Master of Philosophy in Clinical Psychology or Medical and Social Psychology obtained after completion of a full time course of two years which includes supervised clinical training from any University recognized by the UGC and approved and recognized by the Rehabilitation Council of India.
F	Essential Experience	Minimum 2 years post qualification working experience in Health Service Sector.
G	Maximum Age (As on dt. 01.01.2025)	(i) Unreserved/EWS - 37, (ii) Un-Reserved/EWS (Female) - 40, (iii) BC/MBC (Male & Female) - 40, (iv) SC/ST (Male & Female) - 42. (v) 10 years relaxation in age will be admissible to Divine Body applicant.
H	Minimum Age (As on dt. 01.01.2025)	21 Years

सामान्य निर्देश :–

1. उक्त पद हेतु कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए कट ऑफ डेट–01.01.2025 होगी।

2. इच्छुक अभ्यर्थी गृह विभाग, बिहार के अधिकृत Website- https://eprisons.bihar.gov.in/mis/Recruitment/ पर दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निम्नानुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है:–

(i)	ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	01.05.2025
(ii)	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	31.05.2025

4. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।

5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

6. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

7. आरक्षण :–

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजनार्थ मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी अपनी आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। अंतिम रूप से आवेदन समर्पित किये जाने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये गये आरक्षण कोटि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

(iii) ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(v) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में,

(a) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–673 दिनांक–08.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में उनके स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) मान्य होगा।

(b) बिहार सरकार की नियुक्तियों हेतु विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा, जो आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।

8. चयन का आधार तथा अन्य शर्तें :– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा इस पद हेतु निर्धारित संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) के अनुरूप।

9. Document Verification/Counselling के दिन उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा :–

(i) Copy of Online filled up Application form.

(ii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

(iii) Photo Identity proof

(Aadhar Card/Pan Card/Driving License/Voter Id Card/Passport etc.)

(iv) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(v) All educational qualification Mark Sheet/Degrees (From 10th till last qualification).

(vi) Copy of work experience certificate.

(As in the absence of work experience certificate, candidate will submit the joining letter and relieving letter/order and in case of serving employee, latest salary slip/certificate may be considered.)

(vii) If the candidate is working in any Government or Government PSU/Organization then NOC from the competent authority is required.

(viii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र/EWS प्रमाण–पत्र।

(ix) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।

(x) योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में किया गया है।

(xi) यदि अभ्यर्थियों द्वारा कॉउंसेलिंग के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना स्वतंत्र होगा।

10. Online Application process :-

(i) इच्छुक अभ्यर्थी गृह विभाग, बिहार के अधिकृत Website- https://eprisons.bihar.gov.in/mis/Recruitment/ पर Click करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(ii) उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता के लिए कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता पाये जाने पर उम्मीदवारी रदद् कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के द्वारा माँग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

(iv) उक्त पद के लिए Counselling हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।

11. विज्ञापित पद के रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना, विज्ञापन को रद्द करने / परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

12. CWJC No.-16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.06.2024 को पारित न्यायादेश के माध्यम से बिहार (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में) आरक्षण अधिनियम–19, 2023 को Set aside कर दिया गया है। इस न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No.-014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं 014430/2024 दायर किया गया है।

यह नियोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर उपरोक्त सभी SLP(C) में पारित होने वाले आदेशों के फलाफल से प्रभावित होगी।

28.04.2025

(संजीव जमुआर)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।